न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा

राजस्व मुकदमा नम्बर 4/2018

धारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 88,188 RT ACT

उनवान – बनवारी लाल बनाम रामगोपाल

पीठासीन अधिकारी – मोहम्मद ताहिर RAS

वकील वादी – जानकीप्रसाद शर्मा

दिनांक : 27.3.2018

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोरीपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर में खसरा नम्बर 254,348,442,443,445,446,448,449,450,494 कुल किता 10 कुल रकबा 2.54 हेक्टेयर स्थित है |उक्त खसरा नम्बर का खातेदार फूलसिंह पुत्र बस्तुसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम मोरीपुरा पटवार मंडल बरौली जिला धौलपुर था | काश्तकार फूलसिंह का देहांत दिनांक 13.08.2016 को हो गया जिसने अपने जीवनकाल में ही विवादग्रस्त आरजियान की एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.09.2015 को ही वादी के पक्ष में कर दी थी वादी ने अंकित किया कि प्रतिवादी नम्बर 01 बेईमानीपूर्वक आरजियान को हडपना चाहता है अत: उसकी प्रार्थना है की वादग्रस्त आराजियान जिनका विवरण वाद एवं वसीयत मे उल्लेख है वादी को खातेदार घोषित किया जावे | हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रतिवादी०1एवं०2 की तलबाने जारी कर न्यायालय में तलब किया | दिनांक 27.02.2018 को प्रतिवादी न०1 श्री रामगोपाल ने वादी के अभिभाषक के साथ उपस्थित होकर एक राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार प्रतिवादी ने अपना दावा छोड़कर वादी के पक्ष में अपना हक़ त्याग करने हेतु प्रस्तुत किया |

हमने वादी के वाद प्रतिवादी के साथ प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन एवं मनन किया | मनन करने पर ज्ञात हुआ कि वादी रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार पर अपने पक्ष में नामांकरण करना चाहता है | प्रतिवादी के पक्ष पर मनन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी का उक्त खसरा नम्बरान पर किसी भी प्रकार से पूर्व हक़ नजर नही आता है |

अत: गुणअवगुण के आधार पर प्रकरण को ख़ारिज किया जाता है | पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हो |

27/3/18

मोहम्मद ताहिर RAS
उपखण्ड अधिकारी
सरमथुरा